XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ का न्यायालय

राजस्व अपील वाद संख्या– 185/2003
धारा 48(एफ) बी0टी0 एक्ट अर्न्तगत

मो0 इदरीस, पिता–स्व0 वालिद मियाँ
सा0–रमजानी, थाना–जानकीनगर, जिला–पूर्णियाँ.....आवेदक

बनाम

1. श्री अजीत कुमार साह, पिता–स्व0 विश्वमोहन उर्फ विन्देश्वरी साह
2. श्री विजय कुमार साह, पिता–स्व0 विश्वमोहन उर्फ विन्देश्वरी साह
3. मसो0 प्रमीला देवी, पति–स्व0 विश्वमोहन उर्फ विन्देश्वरी साह
   सभी का साकिन–दमगड़ा, थाना–धमदाहा, जिला–पूर्णियाँ.....विपक्षी

आ दे श

आवेदक भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बनमनखी द्वारा बटाईदारी वाद संख्या 11/95–96(धारा 48(एफ) बी0टी0 एक्ट अर्न्तगत) में दिनांक 21.10.2003 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील किया है। आवेदक मौजा–रूपौली, खाता संख्या–952 खेसरा नं0 4692, 4693 एवं 4694 कुल रकवा 2.61 एकड़ प्रश्नगत जमीन पर बटाईदारी विपक्षी के पिता स्व0 विश्वमोहन साह के समय से हीं कर रहा है। जमीन मालिक द्वारा जमीन छोड़ने के लिए दबाब देने के उपरान्त आवेदक भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बनमनखी के न्यायालय में वाद सख्या 11/95–96 (धारा 48(एफ) बी0टी0 एक्ट अर्न्तगत) दायर किया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा समझौता बोर्ड का गठन किया गया। समझौता बोर्ड के प्रतिवेदन को अमान्य करते हुए वाद में पुनः दोनों पक्षों के सदस्य को सुना गया। सदस्य द्वारा बटाईदारी की बात का समर्थन किया गया। लेकिन भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने वास्तविक तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए दिनांक 21.10.2003 को वाद को खारिज कर दिया।

अतः आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय के अभिलेख को मंगवाकर दोनों पक्षों की बात सुनकर सही न्याय करने की कृपा की जाय।

इस वाद में महत्वपूर्ण पक्ष मध्यपक्षीय ही है। विपक्षी के पिता–स्व0 विश्वमोहन साह की मृत्यु के उपरान्त उनकी संपत्ति का कानूनी वारिस पत्नी विपक्षी संख्या 3 एवं दो पुत्र विपक्षी संख्या 1 एवं 2 है। प्रश्नगत जमीन पारिवारिक बटवारा में विपक्षी संख्या 2 एवं 3 के हिस्से में पडा। विपक्षी संख्या 2 एवं 3 ने प्रश्नगत जमीन रजिस्टर्ड केवाला द्वारा मध्यपक्षी के हाथ डीड नं0 2901, दिनांक 09.03.2004 को बेच दिया। पुनः मध्यपक्षी जमीन का नामान्तरण अपने नाम से करवा लिया और खेती करने लगा।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

आवेदक द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के न्यायालय में भी मृत व्यक्ति के विरूद्ध दायर किया। आवेदक विपक्षी के विरूद्ध धारा 107 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत वाद संख्या 111/एम/04 दायर किया था। इस वाद में दोनों पक्ष के बीच दिनांक 17.03.2005 को समझौता हुआ था और आवेदक ने समझौता के समय लिखित रूप में स्वीकार किया था कि वे उस जमीन का बटाईदार नहीं है।

अतः इस प्रकार आवेदक को जमीन मालिक तक का भी सही पता नहीं था और भूमि हडपने के उदेश्य से बटाईदारी वाद दायर किया था।

अतः इस न्यायालय से निवेदन है कि इस अपील को खारिज किया जाय।

इस वाद में उभय पक्षों को सुनने हेतु सुनवाई की तिथी दिनांक 04.06.2010 एवं दिनांक 29.11.2010 निर्धारित किया गया। दिनांक 04.06.2010 को हाजिरी देने के बावजूद भी आवेदक अनुपस्थित रहे। पूर्व में भी उनके द्वारा अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा सुनवाई हेतु मध्यस्थ के द्वारा अनुरोध किया गया था। पुनः मध्यस्थ के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि आवेदक एवं विपक्षियों के द्वारा इस वाद के निष्पादन में रूचि नहीं लिया जा रहा है। इसलिए इस आवेदन को अविलम्ब खारिज किया जाए।

दिनांक 29.11.2010 की सुनवाई में आवेदक को सुना गया। आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में लिखी गयी बातों को पुनः दोहराया गया।

पुनः दिनांक 04.03.2011 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गई।

सुनवाई के बाद एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि–सम्मत है एवं इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

इस निर्णय के साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ